फर्द अहकमा

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री नारायण भील वगै0 कुमावत **बनाम** रतनलाल भील वगै0

किस्म मुकदमा .....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट.....न. 69 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.05.2017	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम बल्दरखा में पेंश हुई प्रार्थीगण संरक्षक माता रामुदेवी मय अधिवक्ता उपस्थित, प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम बल्दरखा पटवार हल्का बल्दरखा भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी संख्या 400 **आराजी न0 217, 232 कुल किता 2 कुल रकबा 08–12 बीघा** आराजीयात विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर प्रस्तुतिकरण की स्टेज पर बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई । प्रार्थीगण विवादित आराजीयात को पैतृक होने का कथन लेकर विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड भुमि को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाहती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 03 के विधिक वारिसान होकर विवादित आराजीयात विपक्षीगण के नाम सयुंक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। जिसे विपक्षी 03 पैत्रक आराजीयात को बदनियती से हडप कर विक्रय/अन्तरण करने पर आमादा है। यदि भविष्य में विपक्षी संख्या 01 लगायत 5 द्वारा पैत्रक आराजीयात में से भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा पैतृक भूमि का अन्तरण कर दिया जाता है तो निष्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात ग्राम बल्दरखा पटवार हल्का बल्दरखा भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी संख्या 400 **आराजी न0 217, 232 कुल किता 2 कुल रकबा 08–12 बीघा** में राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो प्रकरण मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	